न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–554 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या–259 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 125, 74, 303(2), 3(5) बीएनएस

24.07.2026 याचिकाकर्ताओं–1. सीमा देवी उर्फ सीमा कुमारी 2. राजा कुमार उर्फ आयुष राज एवं 3. अमित कुमार उर्फ मुन्ना की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के अंतर्गत दिनांक–30.05.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत नंदन प्रसाद तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 125, 74, 303(2), 3(5) बीएनएस से संबंधित बाढ़ थाना कांड संख्या–259 / 2026, दिनांक–23.04.2026, के नामित अभियुक्तगण हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदकों की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदकगण पर कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई अपराध–कारित नहीं किया गया है। आवेदिका– सीमा देवी उर्फ सीमा कुमारी गृहणी हैं तथा आवेदक–राजा कुमार उर्फ आयुष राज बी.ए. की छात्र है और आवेदक–अमित कुमार उर्फ मुन्ना एक व्यवसायी है, इन आवेदकों पर धारा–74 एवं 303(2) आकर्षित नहीं होता है। आवेदकगण को धारा–35(3) बीएनएसएस का लाभ दिया गया है और आरोप–पत्र भी समर्पित किया जा चुका है। उभयपक्ष आपस में परिवार के सदस्य हैं। इस वाद में आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि, आवेदक अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचिका–कंचन कुमारी हैं, जिनका कहना है कि, उनका पति–नवीन कुमार एवं उनके देवर से जमीन तथा घर का विवाद चल रहा है, उसी बात को लेकर दिनांक–21.04.2026 को समय लगभग 07.00 बजे सुबह जब, वह अपने घर पर कार्य कर रही थी तो उसका देवर–अमित कुमार उर्फ मुन्ना भद्दी–भद्दी गाली देने लगा, जिसका विरोध करने पर अमित कुमार उर्फ मुन्ना, राजा कुमार एवं सीमा देवी सभी लोग ईंट तथा लोहे का रड से मार–पीट कर जख्मी कर दिए। अमित कुमार उर्फ मुन्ना गले से करीब दस ग्राम का सोने का चैन निकाल लिया। जख्मी हालत में सूचिका का पति एवं पुत्र द्वारा ईलाज–हेतु अनुमंडलीय अस्पतला, बाढ़ लाया गया।

कांड दैनिकी एवं अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, आवेदक अभियुक्तों

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–554 / 2026
बाढ़ थाना कांड संख्या–259 / 2026
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 125, 74, 303(2), 3(5) बीएनएस

लगातार

24.07.2026

को धारा–35(3) बीएनएसएस के अंतर्गत बंध–पत्र पर छोड़ा गया है। आरोप– पत्र संख्या–382 / 2026, दिनांक–24.05.2026 समर्पित किया जा चुका है, इनके द्वारा पुलिस जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। आरोप–पत्र समर्पित किए जाने के बाद अब, अनुसंधान प्रभावित करने का प्रश्न नहीं उठाता है। उभयपक्ष आपस में परिवार के सदसय हैं एवं इनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–1. सीमा देवी उर्फ सीमा कुमारी 2. राजा कुमार उर्फ आयुष राज एवं 3. अमित कुमार उर्फ मुन्ना को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदकगण के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़